राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प.17(21)चिस्वा./ग्रुप–2/07/43   जयपुर, दिनांक : 21/6/11

–: : आदेश : :–

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के अधीन एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र का होना अनिवार्य है। वर्तमान में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण एवं शहरी निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इस कारण चिकित्सा महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षणों के लिये इनका नियंत्रण प्रधानाचार्यो के अधीन होना आवश्यक है।

अतः चिकित्सा महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली के मामदण्डानुसार निदेशालय के अधीन संचालित एवं नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण में स्टॉफ एवं अन्य सुविधाओं/सेवाओं के संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के अधीन किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किये जा रहे है एवं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक (जस्वा)/ईएसआई/एड्स/एनआरएचएम/आईइसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

P.T.O.

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प–23 / 2011 / 651 दिनांक : 27/7/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य / आरसीएच / ईएसआई / एड्स / आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
5. अति0 निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–अजमेर / बीकानेर / जयपुर / कोटा / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर (राजस्थान)।
8. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर (राजस्थान)।
9. समस्त अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर (राजस्थान)।
10. समस्त प्रधानाचार्य, ट्रेनिंग सेन्टर, आर.पी.एफ.पी.टी.सी. जयपुर / के.एन.टी.बी.डी.सी. अजमेर।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।